

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी

www.upsmfac.org



उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सम्बद्ध, उ०प्र० शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल प्रशिक्षणों के शासकीय व निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु
संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया-2021

(आप इस विवरणिका को निःशुल्क डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं)

निर्देश एवं विवरण पुस्तिका

विशेष:-

- प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग, जीव विज्ञान/गणित) के अभ्यर्थियों का ही होगा।
- कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- प्रवेश का आधार 10 वीं तथा 12 वीं की परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के जोड़ के आधार पर होगा।
- 10 वीं तथा 12 वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले को प्रथम अवसर प्राप्त होगा।
- उ०प्र० में निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जायेगा।
- सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑन-लाइन होगी। जिसमें काउंसिलिंग हेतु आवश्यकतानुसार दो दिनों की सूचना पर बुलाया जा सकेगा।

क्र.सं.	प्रशिक्षण के विषय	शासकीय केन्द्रों में उपलब्ध सीटें	निजी केन्द्रों में उपलब्ध सीटें
1	डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन	960	543
2	डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन	699	389
3	डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन	76	19
4	डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन	300	39
5	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, लखनऊ में संचालित अन्य डिप्लोमा प्रशिक्षण।	38-38 सीट (प्रत्येक प्रशिक्षण) (डिप्लोमा इन एनेस्थीशिया एण्ड क्रिटिकल केयर टेक्नी0-30 सीट)	
6	पं० राम प्रसाद बिस्मिल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, शाहजहांपुर में संचालित अन्य डिप्लोमा प्रशिक्षण।	30-30 सीट (प्रत्येक प्रशिक्षण)	

- ऑनलाइन आवेदन में 10 वीं तथा 12 वीं के अंकों को भरने की पूर्णतया जिम्मेदारी आवेदक की है। इसमें किसी भी त्रुटि के लिये कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- अभ्यर्थी के चयन के उपरान्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का सत्यापन प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ही किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ-226001

फोन नं० : 0522-2238846, www.upsmfac.org

अतिमहत्वपूर्ण तिथियाँ व विशेष सूचनाएँ

फैकल्टी की वेबसाइट www.upsmfac.org पर पूरी प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। अतः नियमित रूप से वेबसाइट को देखते रहें।

आवेदन ऑनलाइन (Online) किया जायेगा। आवेदन का शुल्क रु. 1000/- मात्र है।

ऑनलाइन (Online) आवेदन—पत्र भरने के पूर्व दिशा—निर्देश भली—भाँति पढ़ लें। आप इस विवरणिका को डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, ताकि सुलभ सूचनार्थ उपलब्ध रहे। यह निःशुल्क है।

विशेष:-

- प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित) के अभ्यर्थियों, का ही होगा।
- कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- प्रवेश का आधार 10 वीं तथा 12 वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के जोड़ के आधार पर होगा।
- 10 वीं तथा 12 वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले को प्रथम अवसर प्राप्त होगा।
- उ0प्र0 में निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जायेगा।
- सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑन—लाइन होगी। जिसमें काउंसिलिंग हेतु आवश्यकतानुसार दो दिनों की सूचना पर बुलाया जा सकेगा।
- अभ्यर्थी के चयन के उपरान्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का सत्यापन प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ही किया जायेगा।

ऑन—लाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिये गये मानकों के अनुसार अपनी लेटेस्ट रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें। आवेदन पत्र भरने के निर्देशों को अक्षरशः पालन करें।

नियत तिथियों में आप भरे हुये आवेदन पत्रों में संशोधन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् नये आवेदन या संशोधन संभव नहीं होंगे।

1	ऑन—लाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	14.01.2022
2	ऑन—लाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि के बाद आवेदन संभव नहीं होगा)	24.01.2022
3	मेरिट सूची की तिथि	27.01.2022
4	प्रथम काउंसिलिंग की तिथि	
5	द्वितीय काउंसिलिंग की तिथि	
6	तृतीय काउंसिलिंग की तिथि	निर्धारित तिथियों की सूचना दी जायेगी।

प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अर्हताएँ

शैक्षिक अर्हता :

इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग ग्रुप परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केन्द्र अथवा उ०प्र० शासन से मान्यता प्राप्त हो (ये सभी उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के समकक्षता प्राप्त होना चाहिये) एवं बायोलाजी ग्रुप अथवा गणित ग्रुप से भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान सहित विषयों से उत्तीर्ण हो। समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश/चयन होने के पश्चात् भी प्रशिक्षण से विरत किया जा सकता है। 40% कम अंक के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते।

आयु :

अभ्यर्थी को 31 दिसम्बर, 2021 को 17 वर्ष आयु होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी की जन्मतिथि 31 दिसम्बर, 2004 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

आरक्षण/आरक्षित स्थान :

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश नियमानुसार आरक्षण देय होंगे। यदि शासन द्वारा कोई आदेश निर्गत होते हैं तो उनका समावेश किया जायेगा।

कृपया ध्यान दें आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशाधीन है। इनमें यदि परिवर्तन शासन द्वारा किया जाता है तो इसका समावेश किसी भी स्तर पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन आदि मान्य नहीं होगा।

(क) उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित समस्त प्रवेश परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाता है।

(ख) उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि किसी भी श्रेणी में आरक्षण चाहते हों उनसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्नकों में दिये गये प्रपत्र सं० 1, 2, 3, 4 में दिये गये प्रोफार्म के अनुसार ही प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(ग) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित आरक्षण अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आबंटित कर दिया जायेगा।

(घ) आवेदन पत्र भरते समय निश्चित कर लें कि आप किस श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं एवं अपनी पात्रता श्रेणी में ही आरक्षण हेतु आवेदन करें। कृपया ध्यान दें, आरक्षण श्रेणी में किसी भी तरह का परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।

(ङ) केवल जाति सूचक शब्दों के लिखने से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। नियमानुसार वांछित आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक है।

(च) अस्पष्ट अथवा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में प्रमाण-पत्र न होने की दशा में भी श्रेणी सामान्य रखी जायेगी और फार्म जमा होने के पश्चात् बदला नहीं जायेगा।

वर्टिकल आरक्षण :

- | | | |
|--------------------------------|---|-----|
| 1. अनुसूचित जनजाति (एस०टी०) | – | 2% |
| 2. अनुसूचित जाति (एस०सी०) | – | 21% |
| 3. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) | – | 27% |

योग्यता सूची में यदि प्रथम 50 प्रतिशत स्थानों में कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे अपनी श्रेणी में अथवा मेरिट क्रम में उपलब्ध, अपनी पसंद के प्रशिक्षण व सीटों में चयन चाहेगा तब ही उसे अपनी श्रेणी में रख दिया जायेगा।

आरक्षण के अन्दर आरक्षण :

उदाहरणार्थ :

विशेष आरक्षण यथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/विकलांग व भूतपूर्व सैनिकों के कुल प्रतिशत की मेरिट सूची सम्मिलित रूप से अलग—अलग बनायी जायेगी व उसमें निम्नवत् प्रवेश दिया जायेगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वास्तविक आश्रित अभ्यर्थी यदि प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ही आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि विकलांग अभ्यर्थियों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या सामान्य श्रेणी का है तो उसे अनुसूचित जाति या सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में ही समायोजित किया जायेगा।

प्रशिक्षण :

केवल एक तकनीकी शैक्षिक (Technical Education) योग्यता मात्र है। इसके उपरान्त अभ्यर्थी निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का पात्र हो जायेगा। प्रशिक्षण पूर्ण कालिक है एवं प्रशिक्षण 2 वर्ष का है (डिप्लोमा इन सेनीटशन—1 वर्षीय पाठ्यक्रम)। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी इसकी परीक्षक संस्था है। यह प्रशिक्षण किसी भी सेवायोजन की गारन्टी नहीं है।

काउंसिलिंग :

कुल 2 काउंसिलिंग होगी, आवश्यकता पड़ने पर तथा सीटें रिक्त होने की दशा में तृतीय काउंसिलिंग भी की जा सकती है। एक अभ्यर्थी एक ही स्थानान्तरण के लिये अर्ह होगा।

प्रशिक्षण शुल्क (परिवर्तनीय)

क्रम	प्रशिक्षण केन्द्र	डिप्लोमा इन फार्मेसी	डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन
1.	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र पर शिक्षण शुल्क	₹. 24000/- प्रतिवर्ष	₹. 24000/- प्रतिवर्ष
2.	निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर शिक्षण शुल्क	₹. 24,000/- प्रतिवर्ष	₹. 24000/- प्रतिवर्ष दो किश्तों में
3.	के0जी0एम0सी0 का शिक्षण शुल्क के0जी0एम0य० की वेबसाइट पर उपलब्ध है।		

उपरोक्त शुल्क केवल पठन-पाठन (Tuition Fee) के मद का है।

वेबसाइट – उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट www.upsmfac.org है।

प्रशिक्षण केन्द्रों व उपलब्ध सीटों संबंधी महत्वपूर्ण सूचना

प्रशिक्षण केन्द्र :

प्रशिक्षण केन्द्र व उनकी सीटों की संख्या उम्प्र० शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित की जाती है। इनमें उम्प्र० शासन द्वारा कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। परिणाम घोषित करने के समय तात्कालीन शासनादेश के अनुरूप ही क्रियान्वयन प्रस्तावित होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ई.डब्लू.एस. कोटे में अधिकतम 10 प्रतिष्ठत के आरक्षण संबंधी शासनादेश सं०-१९८७ / ७१-४-२०१९-१५८ / २०१७टी०सी० दिनांक 12. 12.2019 के अनुपालन में सीटों का विवरण निम्नवत है—

डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण में संस्थावार सीटों का विवरण निम्नवत है—

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	शासकीय/निजी	क्षमता
1	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	Government	100
2	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	25
3	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	Government	100
4	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKARNAGAR	Government	25
5	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH	Government	25
6	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	Government	25
7	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	Government	25
8	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	100
9	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	Government	100
10	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	Government	100
11	M.L.B. MEDICAL COLLEGE, JHANSI	Government	100
12	PARAMEDICAL SCHOOL, G.I.M.S., GAUTAM BUDDHA NAGAR	Government	30
13	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, SHAHJAHANPUR	Government	30
14	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	Government	100
15	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	Government	25
16	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	Government	50
17	APEX PARAMEDICAL INSTITUTE, VARANASI	Private	19
18	CAREER COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Private	39
19	F.H. COLLEGE OF PARAMEDICAL, AGRA	Private	19
20	HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BARABANKI	Private	39
21	HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SITAPUR	Private	26
22	MAHAYOGI GORAKHNATH VISHVAVIDYAALAY, GORAKHPUR	Private	19
23	MAYO COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES, BARABANKI	Private	26
24	MERIDIAN NURSING & PARAMEDICAL COLLEGE, VARANASI	Private	19
25	NATIONAL CAPITAL REGION INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MEERUT	Private	19
26	PARK DIAGNOSTIC CENTER, LUCKNOW	Private	19
27	POPULAR NURSING SCHOOL AND PARAMEDICAL INSTITUTE, VARANASI	Private	19
28	RAMA INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, KANPUR	Private	19
29	ROHILKHAND MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, BAREILLY	Private	19
30	S.C.P.M. COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES, GONDA	Private	19
31	SAMARPAN INSTITUTE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Private	19
32	SANTOSH MEDICAL COLLEGE, GHAZIABAD	Private	30
33	SARDAR PATEL INSTITUTE OF PARA MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Private	39
34	ST. JOSEPH'S PARAMEDICAL INSTITUTE, GHAZIABAD	Private	19
35	SUBHARTI MEDICAL COLLEGE, MEERUT	Private	39
36	T.S. MISRA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, LUCKNOW	Private	39
37	VARUN ARJUN COLLEGE OF NURSING, SHAHJAHANPUR	Private	19
38	VATSALYA INSTITUTE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES, ALLAHABAD	Private	19

डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन प्रशिक्षण में संस्थावार सीटों का विवरण निम्नवत है—

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	शासकीय / निजी	क्षमता
1	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	Government	38
2	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	38
3	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	Government	75
4	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKARNAGAR	Government	25
5	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH	Government	25
6	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	Government	25
7	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	Government	25
8	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	75
9	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	Government	50
10	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	Government	75
11	M.L.B. MEDICAL COLLEGE, JHANSI	Government	38
12	PARAMEDICAL SCHOOL, G.I.M.S., GAUTAM BUDDHA NAGAR	Government	30
13	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, SHAHJAHANPUR	Government	30
14	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	Government	75
15	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	Government	25
16	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	Government	50
17	BORA INSTITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCES (SEWA HOSPITAL & RESEARCH CENTRE), LUCKNOW	Private	19
18	G.M.S. COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES, AMROHA	Private	19
19	HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BARABANKI	Private	19
20	HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SITAPUR	Private	26
21	I.I.M.T. COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES, MEERUT	Private	19
22	MAYO COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES, BARABANKI	Private	26
23	RAMA INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, KANPUR	Private	19
24	ROHILKHAND MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, BAREILLY	Private	19
25	S. M. NURSING COLLEGE, MATHURA	Private	19
26	SANTOSH MEDICAL COLLEGE, GHAZIABAD	Private	30
27	SARDAR PATEL INSTITUTE OF PARA MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Private	39
28	SHRI BABU SINGH JAI SIGH NURSING & PARAMEDICAL COLLEGE, FARRUKHABAD	Private	19
29	SRI SIDDHIVINAYAK INSTITUTE OF PARAMEDICAL STUDIES, BAREILLY	Private	19
30	SUBHARTI MEDICAL COLLEGE, MEERUT	Private	39
31	T.S. MISRA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, LUCKNOW	Private	39
32	VARUN ARJUN COLLEGE OF NURSING, SHAHJAHANPUR	Private	19

डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन प्रशिक्षण में संस्थावार सीटों का विवरण निम्नवत है—

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	शासकीय / निजी	क्षमता
1	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	13
2	J.K. CANCER INSTITUTE, KANPUR	Government	25
3	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	38
4	APEX PARAMEDICAL INSTITUTE, VARANASI	Private	19

डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षण में संस्थावार सीटों का विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	शासकीय / निजी	क्षमता
1	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	Government	75
2	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	Government	75
3	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	Government	75
4	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	Government	75
5	INSTITUTE OF PARA MEDICAL, CHINHAT , LUCKNOW	Private	39

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, लखनऊ में संचालित अन्य डिप्लोमा प्रशिक्षणों का विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	क्षमता
1	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
2	DIPLOMA IN BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN	38
3	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	38
4	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	38
5	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	38
6	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	38
7	DIPLOMA IN M.R.I. TECHNICIAN	38
8	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	38
9	DIPLOMA IN OPTOMETRY	38
10	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	38
11	DIPLOMA IN SANITATION	38

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, शाहजहांपुर में संचालित अन्य डिप्लोमा प्रशिक्षणों का विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	क्षमता
1	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
2	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	30
3	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	30
4	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
5	DIPLOMA IN OPTOMETRY	30
6	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	30

नोट : उपरोक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार केन्द्रों अथवा सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष : किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन ओटीटी० टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सी०टी० स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एम०आर०आई० टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सेनीटेशन, डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन ब्लॉड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन प्रशिक्षण में 38 सीट (प्रत्येक पाठ्यक्रम) विषयों को शासनादेश संब्या 3076/71-2-14- एन-50/2014 दिनांक 26.09.2014 के अन्तर्गत मान्यता दी गयी है। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में संचालित समस्त प्रशिक्षणों में भी प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत ही काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश लिया जायेगा। इन प्रशिक्षणों के पठन-पाठन की फीस किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी। परीक्षक संस्था उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी होगी।

संलग्नक 1

प्रपत्र सं० 1

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित तथा जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश) 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

प्रपत्र सं० 2

(उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, यह जाति उत्तर प्रदेश की लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची 1 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची 2 (अधिसूचना संख्या 22/ 16/ 12—का—2/ 1995—टी०सी० दिनांक 8 दिसम्बर, 1985 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है। श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान
दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

संलग्नक-2

प्रपत्र सं० ३

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

स्वतंत्रता संग्राम सेनारियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र अविवाहित पुत्र उपरांकित अधिनियम
1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रा संग्राम सेनानी)
के आश्रित हैं।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद नाम

मुहर
जिलाधिकारी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(सील)

प्रपत्र सं० ४

(भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री..... निवासी
..... सेना की सक्रिय सेवाकाल (जल/नम/थल) में रहे हैं। वर्तमान में उक्त पद से सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर
दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर
पूरा नाम

सील

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री..... निवासी....
..... ने भारतीय..... सेना की सक्रिय सेवाकाल..... वर्ष रहा है। वर्तमान में उक्त पद से (जल/नम/थल) सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

दिनांक

सेवा के संबंधित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील
पूरा नाम
पद नाम सील

Guidelines to apply for U.P.State Medical Faculty Paramedical Selection Process

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में चयन हेतु दिशा-निर्देश

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरें।

1. Visit <https://cpsp21.upsmfac.org/>
<https://cpsp21.upsmfac.org/> पर जाएं
2. Click on <New Applicant Registration> button
<न्यू एप्लिकेंट रजिस्ट्रेशन> के बटन पर क्लिक करें
3. Read the instructions carefully and check the “I have read the prospectus and the instructions carefully and understood them” check-box. Click on Continue button.
अनुदेश को ध्यान से पढ़ें और “आई हैव रेड द प्रॉस्पेक्टस एंड द इस्ट्रक्शन केयरफुली एंड अंडरस्टूड देम”
चेक बॉक्स को चेक करें। “कंटीन्यू” बटन पर क्लिक करें।
अर्थात् आपको पहले अनुदेश पढ़ना है, और समझकर आगे बढ़ने हेतु कन्टीन्यू बटन पर क्लिक करना है।
4. Fill the complete Applicant's Information like First Name, Middle Name, Last Name, Mobile Number, E-mail etc. as shown within the Applicant Registration Panel.
एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पैनल के अन्तर्गत एप्लीकेन्ट इन्फार्मेशन जैसे प्रथम नाम, मध्य नाम, अन्तिम नाम, मोबाइल नंबर,
ई-मेल इत्यादि भरें।
5. Fill the Academic Qualification Details as required and explained below:

- High School
 - Name of Board
 - Name of College
 - Year of Passing
 - Roll No.
 - Percentage - Enter only the Percentage (%) of Total Marks obtained.
(**Do not enter Grades obtained by Grading System like GPA/CGPA etc. First, convert the Grading Marks within Percentage and then enter**)
- Intermediate
 - Name of Board
 - Name of College
 - Year of Passing
 - Roll No.
 - Percentage - Enter only the Percentage (%) of Total Marks obtained.
(**Do not enter Grades obtained by Grading System like GPA/CGPA etc. First, convert the Grading Marks within Percentage and then enter**)

6. Fill the Marks Entry deatils of Intermediate Subjects

- Physics Marks Obtained
 - Chemistry Marks Obtained
 - Maths Marks Obtained
- OR
- Biology Marks Obtained
 - Subject – 1 (Name of Subject-1)
 - Subject – 1 Marks Obtained
 - Subject – 2 (Name of Subject-2)
 - Subject – 2 Marks Obtained

Note: Enter the Marks obtained within within the respective Subjects out of 100.
(Do not enter Grades obtained by Grading System like GPA/CGPA etc. Convert the Grading Marks out of 100 and then enter)

7. Check on the Declaration and **SAVE** the details.

डिक्लेरेशन को चेक कर सेव बटन पर क्लिक करें।

8. The applicant will get the **UPSMFAC ID** and **Password** for the futher use and requested to save it for further use.

यूपीएसएफएसी आईडी एवं पासवर्ड अभ्यर्थी को अग्रिम उपयोग हेतु उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे वह सुनिष्ठित रूप से सुरक्षित कर लें।

9. An E-mail will be sent to your provided **E-mail** consisting of **UPSMFAC ID** and **Password**.

यूपीएसएफएसी—आईडी एवं पासवर्ड अभ्यर्थी की ई—मेल पर उपलब्ध करायी जायेगी।

10. Login with the **UPSMFAC ID** and **Password**.

अभ्यर्थी को प्रदान की गयी “यूपीएसएफएसी—आईडी” और “पासवर्ड” के साथ लॉग इन करें।

11. Upload the followings:

- Photograph - Colored (Max size 300 KB)
- Signature (Max size 300 KB)
- Highschool Marksheets - Colored (Max size 1 MB)
- Intermediate Marksheets – Colored (Max size 1 MB)

पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, हस्ताक्षर, 10th एंड 12th रंगीन अंक पत्रक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें।

12. Click on **Payment** to go to make an **Online Payment**. Don't click on **Back** button while making payment.

There are two online payment modes 1. Credit Card 2. Debit Card 3. Net Banking
(Follow the instruction shown on the screen as per your choice)

ऑनलाइन पेमेंट के लिये सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऑनलाइन पेमेंट 1. क्रेडिट कार्ड 2. डेबिट कार्ड 3. नेट बैंकिंग के द्वारा किया जा सकता है।

13. Click on **Print Form** to get the printout of the completely filled application form after making the payment.

पेमेंट करने के पश्चात अभ्यर्थी अपना भरा हुआ पूर्ण फार्म प्रिन्ट फार्म के द्वारा निकाल सकता है।

Note:

- Under "Applicant Information" section, please select correct Category and Sub-Category the applicant belongs to. The applicant has to produce respective certificate at the time of admission for the verification.

एप्लीकेन्ट इनफार्मेशन के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा अपनी सही कटेगरी एवं सब-कटेगरी को अंकित करें। प्रवेष के समय अभ्यर्थी को अंकित की गयी कटेगरी एवं सब-कटेगरी का प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

- Under "Personal Information" section, if Nationality will be chosen as "Other" then "Please Specify" will be asked.

"व्यक्तिगत सूचना" अनुभाग के तहत, अगर राष्ट्रीयता को "अन्य" के रूप में चुना जाएगा तो "कृपया निर्दिष्ट करें" से पूछा जाएगा।

- Please be sure that all information filled are correct and all uploads are proper before making the payment. As after making the payment, no further updation is permissible.

पेमेन्ट करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये समस्त विवरण एवं अपलोड किये गये फोटो, हस्ताक्षर एवं प्रपत्रों की जाँच कर लें, क्योंकि पेमेन्ट करने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

- Age should be 17 years or above.

न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिये।

- In 12th Subject Details, Physics & Chemistry are mandatory and needs to fill up. Any one in between Maths or Biology is mandatory and needs to be filled up.

12th के विषय विवरण में, भौतिकी और रसायनशास्त्र अनिवार्य हैं और उन्हें भरने की आवश्यकता है। गणित या जीवविज्ञान में से कोई एक अनिवार्य है और उसे भरने की जरूरत है।

- For any other subjects of 12th other than Physics, Chemistry, Maths or Biology, use Subject-1 and Subject-2 options to fill in the details.

भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित या जीवविज्ञान के अलावा 12 वीं के किसी अन्य विषय के लिए, विवरण भरने के लिए विषय 1 और विषय 2 विकल्प का उपयोग करें।

Marks Normalization Document

अंक सामान्यकरण दस्तावेज़

Normalization of marks is the process of converting the marks obtained by students from boards other than **The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh** in the subjects concerned, comparable to that of **The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh**

अंकों के सामान्यीकरण, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य बोर्डों के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो कि हाईस्कूल विद्यालय और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के साथ तुलना में संबंधित विषयों में है।

Eligibility & Shortlisting Criteria:

पात्रता और शॉर्टलिस्टिंग मानदंड:

Shortlisting and Selection Criteria for candidates will done in two stages. Only the candidates obtaining a positive (greater than zero) marks in Physics, Chemistry and Mathematics/Biology will be considered for all the subsequent stages.

1. शॉर्टलिस्टिंग और चयन उम्मीदवारों के लिए मानदंड दो चरणों में किया जाएगा। केवल भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित / जीवविज्ञान में सकारात्मक (शून्य से अधिक) अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही बाद के सभी चरणों के लिए माना जाएगा।
- 2- At different stages of the selection process '**Application Rating**' (**AR**) marks of an applicant will be used. An **applicant's AR** marks is the sum of the normalized marks 'A', and 'B' based on their percentage of marks obtained in the **10th** standard and the **12th** class standard respectively.
चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक आवेदक के 'एप्लिकेशन रेटिंग' (एआर) अंक का इस्तेमाल किया जाएगा। एप्लिकेट के एआर स्कोर में सामान्यीकृत अंक 'ए' और 'बी' का योग है, जो क्रमशः 10 th कक्षा और 12 th कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आधारित है।

The marks in respect of candidates who have come from **The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh** will not be subjected to any Normalization. The marks obtained by such candidates in the subjects considered will be taken as such for ranking purposes. द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश से आए उम्मीदवारों के संबंध में अंक किसी भी सामान्यकरण के अधीन नहीं होंगे। माना जाता है कि विषयों में ऐसे उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए चिह्नों को रैंकिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

The Normalization of marks of candidates of other Boards would be carried out as per the formula given below.

नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार अन्य बोर्डों के उम्मीदवारों के अंकों का नार्मलाइज़ेशन किया जाएगा।

For Marks AR A (for 10th Std)

फॉर स्कोर एआर ए (फॉर 10th स्टैण्डर्ड)

The marks received at the actual board will be considered as standard on satisfying minimum eligibility criteria.

वास्तविक बोर्ड में प्राप्त अंक न्यूनतम पात्रता मानदंडों को संतोषजनक करने पर मानक माना जाएगा।

For Marks AR B (for 12th Std)

फॉर स्कोर एआर ए (फॉर 12th स्टैण्डर्ड)

This formula is arrived at through different stages as described below:

We have taken Average marks of candidates applying through The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh as Yup where

जैसा कि नीचे बताया गया है, यह सूत्र अलग चरणों के माध्यम से आया है:

हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा उत्तरप्रदेश के माध्यम से यूप के रूप में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के औसत अंक ले चुके हैं

Yup= Mean of Uttar Pradesh Board students' marks, to be calculated as

Yup= उत्तरप्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के अंक के रूप में गणना की जानी चाहिए

Yup= $\{x_1+x_2+x_3+\dots+x_N\}/N$

Where x1, x2, x3 are eligible candidates from UP Board who have applied.

Yup= $\{x_1+x_2+x_3+\dots+x_N\}/N$

जहां एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3, यूपी बोर्ड से पात्र उम्मीदवार हैं, जिन्होंने आवेदन किया है।

Consider a candidate from any other Board who is eligible and has applied to the exam. Let us consider that average marks of applicants applying via that board is Yo where

किसी भी अन्य बोर्ड के उम्मीदवार पर विचार करें जो कि पात्र है और परीक्षा में आवेदन किया है। आइए हम विचार करें कि उस बोर्ड के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों के औसत अंक Y_o हैं जहां

Y_o = Mean of Other Boards' students' marks, to be calculated as

$$Y_o = \{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_N\} / N$$

Where a_1, a_2, a_3 are eligible candidates from other board who have applied.

Y_o = अन्य बोर्डों के छात्रों के अंक के रूप में गणना की जानी चाहिए

$$Y_o = \{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_N\} / N$$

जहां a_1, a_2, a_3 अन्य बोर्डों से पात्र उम्मीदवार हैं, जिन्होंने आवेदन किया है।

Normalizing Factor for the Other Board = $Y_o / Y_{up} = k$

अन्य बोर्ड के लिए सामान्यीकृत फैक्टर = $Y_o / Y_{up} = k$

The normalized marks of student at Other board = $k * a_1, k * a_2, k * a_3, \dots, k * a_N$

which is AR Marks B of these Candidates.

अन्य बोर्ड पर छात्र के सामान्यीकृत अंक = $k * a_1, k * a_2, k * a_3, \dots, k * a_N$ जो इन उम्मीदवारों के एआर स्कोर बी है।

FSC (Final Marks of Candidate) = {w1*AR Marks A} + {w2*AR Marks B}

Where w_1, w_2 are percentage weightage assigned to AR Marks A and AR Marks B respectively.

एफएससी (फाइनल अंक ऑफ़ कैंडिडेट) = { $w_1 * \text{AR Marks A}$ } + { $w_2 * \text{AR Marks B}$ }

जहां w_1, w_2 प्रतिशत क्रमशः एआर स्कोर ए और एआर स्कोर बी को सौंपा जाता है।

Notes about the **Normalization** Norms:

नार्मलाइज़ेशन के बारे में नोट्स:

If any board/institution awards only letter grades without providing an equivalent percentage of marks on the grade-sheet, the candidate should obtain a certificate from the board/institution specifying the equivalent marks which should be used for filling the online application form. The original equivalence certificate needs to be submitted at the time of interview, if shortlisted for the same. अगर कोई बोर्ड/इंस्टीट्यूट में केवल ग्रेड ही अंक पत्र पर दिये जाते हैं और उनके समकक्ष अंक प्रतिशत नहीं दिया जाता है तो वह छात्र/छात्राओं को संबंधित बोर्ड से समकक्ष अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना होगा एवं यदि वे चयनित होते हैं तो वह अंकपत्र प्रवेश के समय साथ रखना होगा।